भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4420

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन उत्पादन"

4420. श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन मिशन (एनएमएचईवी) के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : जी हां। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तीन स्कीमें शुरु की हैं। विवरण निम्नानुसार है:

i. सरकार ने जैव ईंधन पर निर्भरता घटाने और वाहन उत्सर्जन की समस्या के समाधान के लिए परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रयोजन से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम,चरण-।। (फेम इंडिया,चरण-।।) को 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया है जिसका कुल बजटीय परिव्यय 10,000 करोड़ रूपये है। जहां तक ई-बसों, इलेक्ट्रिक तिपहियों और इलेक्ट्रिक चौपहियों का संबंध है, इस स्कीम में उन वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है जिनका उपयोग सार्वजनिक परिवहन के लिए अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक दुपहियों के मामले में, निजी स्वामित्व वाले वाहनों के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

फेम-।। के अंतर्गत 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों (स्ट्रांग हाइब्रिड सहित) और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सहायता प्रदान की जानी है। स्कीम संबंधी अधिक ब्यौरा हमारी वेबसाइट https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=1378 पर उपलब्ध है।

ii. ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (जिसका बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रूपए है) के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन और उनके संघटकों सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके संघटकों की पात्र बिक्री पर 18 प्रतिशत तक का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्कीम का अधिक ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर उपलब्ध है।

iii. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमः सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को अनुमोदित किया है जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रूपए है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में 50 गीगावाट घंटे के लिए गीगा स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु आर्थिक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इन एसीसी का उपयोग बैटरियों में किया जाएगा जिनका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। अधिक ब्यौरा https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487 पर उपलब्ध है।

साथ ही,देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नांकित कदम उठाए हैं-

i. 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक दुपहियों के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है जिसके लिए वाहन लागत की 20 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहियों की लागत अंतर्दहन इंजन वाले दुपहियों के समान हो गई है।

ii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें यात्री या मालवहन के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर न लेने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***